न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 119/2017

सुखवन्तसिंह पुत्र तारासिंह जाति जटसिख निवासी भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. कुलदीपसिंह } पिसरान सुखवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी भुट्टीवाला तह0
2. रणजीतसिंह } श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर । —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
दिनांक 31.07.2017

उपस्थितः—

श्री मोहनलाल माहर, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री बलराम स्वामी अभिषक रेस्पों.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो. सं. 1, 2 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा. का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वह अपने नाम से प्रार्थीना पत्र की मद संख्या 14 में अपने नाम से वर्णित भूमि 19.08 बीघा भूमि को रहन, बैय, वसीयत करने से बाज व ममनू रहे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

11/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 31.07.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था फिर भी अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में अधी.न्यायालय ने मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये है जिससे किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यदि वाद के निर्णय से पूर्व विवादित भूमि के मौका एवं रेकार्ड में परिवर्तन हो जाता है तो प्रार्थीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पों0 ने 2012 आरबीजे (19) 26, 178, 1993 आरआरडी 206 की नजीरें पेश की।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 31.07.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी0न्यायालय द्वारा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अपीलांट के विरूद्ध पारित हुआ है जबकि अपीलांट रेकार्डेड खातेदार है। अतः उसके विरूद्ध पारित आदेश अपास्त योग्य है। अतः निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी0न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पुत्रों द्वारा पिता की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किया है जबकि अपील मीमों के बिन्दु संख्या 2 में अंकित किया है कि अधी.न्यायालय के समक्ष रा.का.अ. की धारा 188, 88 का वाद पत्र पेश किया है जो Further बंटवारा का अनुतोष चाहना भी अपेक्षित होकर धारा 53 का Inclusion किया जाना अपेक्षित था जिसके अभाव में रेस्पो0 का claim की अपीलांट की 2/3 हिस्सा पर उनका कब्जा है। अधी.न्यायालय में विवेचन का बिन्दु ही नहीं है। अतः अपीलांट को उसके नाम दर्ज भूमि के 2/3 हिस्से की भूमि पर रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश पूर्ण रूपेण अस्पष्ट है यह 2/3 हिस्सा कौनसा होगा कहीं विवेचित नहीं है। साथ ही सामान्यतया जब तक कोई अपरिहार्य परिस्थितियां न हो रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं हैं। अधी.न्यायालय ने ऐसे असाधारण परिस्थितियां विवेचित नहीं की है। अतः रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के विरूद्ध जारी मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश अपास्त योग्य होकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर